न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ०नि०) अधिनियम, जौनपुर।
फौजदारी प्रकीर्ण वाद सं०–19/2026
(पंजीकरण सं०–68/2026)
सुशीला देवी–––––––**बनाम**––––––––उमेशचन्द यादव व अन्य।

दिनांक–20.04.2026

1– पत्रावली आज आदेशार्थ पेश हुई। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में प्रार्थना –पत्र अंतर्गत धारा–173(4) भा०ना०सु०सं० पर सुना जा चुका है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया।

2– आवेदिका की ओर से प्रार्थना–पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उसके पड़ोसी उमेशचन्द यादव, बिन्दू यादव व अंकुर यादव अपने दरवाजे के सामने रेलवे का कपड़ा धोने को लेकर रंजिश रखते हैं तथा बात–बात में झगड़ा करते हैं, गाली–गुफ्ता देते हैं और रेलवे का कपड़ा नहीं धोने देते हैं। हमेशा फौजदारी पर आमादा रहते हैं तथा उसकी कमजोरी व मजबूरी का नाजायज लाभ उठाते हैं। घटना दिनांक 23.01.2026 समय 08.30 बजे शाम की है। उसके घर के सामने बिजली का बल्ब व रोड लाईट जल रही थी। उसने रेलवे का कपड़ा धोने के लिये अपने दरवाजे के सामने रखा था कि पड़ोसी उमेशचन्द यादव रंजिशवश अनायास गटर की नाली में ईंट फेंकने लगा, जिससे नालीके गन्दे पाली का छींटा रेलवे के रखे कपड़े पर आने लगा जब उसने नाली में ईंट फेंकने से मना किया तो उमेशचन्द यादव माँ–बहन की भद्दी–भद्दी गालियाँ देते हुए धोबिन धोबकटिन की जाति जैसे शब्दों की गाली देने लगे। जहाँ पर लोगों का आना–जाना लगा होता है। उसने गाली देने से मना किया तो उमेशचन्द यादव की पत्नी ने ललकारा कि मार साली धोबिन धोबकटीन की जाति बहुत जुबान लड़ा रही है। इतने में उमेशचन्द यादव व अंकुर उसको मारने के लिये झुके तो उसने अपनी जान बचाने की गरज से अपने घर में भागी और घर में घुस गयी और दरवाजा बन्द करना चाही, लेकिन मुल्जिमानों ने दरवाजे को धक्का देकर घर में घुस गये और उसको लात–मुक्का से मारने लगे तथा मारते–पीटते हुए घर में से बाहर खींच लाये और बाहर भी मारे–पीटे। उमेशचन्द यादव ने उसके ब्लाउज में हाथ डालकर ब्लाउज को फाड़ दिया और साड़ी खींच दिया, जिससे वह अर्द्धनग्न हो गयी। उसके चिल्लाने पर उसको बचाने उसकी लड़की रोशनी व शिवांगी व भतीजा विशाल आया तो मुल्जिमानों ने उसको भी मारा–पीटा और धोबकटीन जाति कहकर अपमानित किया। उसके शोर पर राजन, मीतलाल व गाँव के अन्य बहुत से लोग आ गये और घटना देखे व बीच–बचाव किया तब जाकर उसकी जान बची। मुल्जिमान जाते समय धमकी दिये कि थाने पर कोई कार्यवाही करने जाओगी तो तुम्हें व तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे जो रेलवे का कपड़ा वह रखी थी, उसे वह गन्दी नाली में फेंक दिये और धमकी दिये कि मोहल्ले में नीच जाति को नहीं रहने दूँगा और तुम लोगों को भगा दूँगा। घटना के बाबत उसी दिन थाने पर दरख्वास्त दिया तो थाने के दरोगा जी ने कहा कि पहले घटना की जाँच कराकर आओ तब रपट लिखी जायेगी। उसने मजबूर होकर दिनांक 31.01.2026 को पुलिस अधीक्षक, जौनपुर जरिये रजिस्टर्ड डाक से दरख्वास्त दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। याचना की गयी है कि थानाध्यक्ष कोतवाली, जौनपुर को आदेशित किया जावे कि वे मुकदमा दर्ज कर विवेचना करें।

3– आवेदिका द्वारा प्रार्थना–पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है, और पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को संबोधित प्रार्थना–पत्र मय रजिस्ट्री रसीद, जाति प्रमाणपत्र एवं आधार कार्ड की छायाप्रतियाँ संलग्न की गयी हैं। प्रार्थना–पत्र के साथ आवेदिका की ओर से मु०अ०सं० –17/2026 की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं चोटहिल का फोटोग्राफ दाखिल किया गया है।

4– प्रार्थना पत्र के प्रकाश में थाने से आख्या प्राप्त है। थाना आख्यानुसार प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है। थाना आख्या में यह भी उल्लिखित किया गया है कि दिनांक 23.01.2026 को शिकायतकर्ता एवं विपक्षी के मध्य नाली के पानी के विवाद को लेकर कहा–सुनी/विवाद हुआ था, जिसमें विपक्षी उमेशचन्द द्वारा उक्त विवाद के संबंध में थाना स्थानीय पर तहरीर देकर आवेदिका के विरूद्ध मु०अ०सं० –17/2026, धारा–352, 351(3) बी०एन०एस० पंजीकृत कराया गया था, जिसमें बाद विवेचना आरोप–पत्र न्यायलय प्रेषित किया जा चुका है।

Digitally signed by RANJEET KUMAR
Date: 2026.04.20 16:22:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Jaunpur

5– आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों के आधार पर मामले में प्रथम दृष्ट्या संज्ञेय अपराध कारित होना पाया जाता है। आवेदिका कथनानुसार घटना दिनांक 23.01.2026 को समय 08.30 बजे शाम आवेदिका अपने घर के सामने कपड़ा धोने के लिये रख रही थी कि विपक्षी उमेशचन्द रंजिशन नाली में ईंट फेंकने लगे, जिससे नाली का गन्दा पानी का छीटा कपड़ों पर आने लगा, जिससे मना करने पर उमेशचन्द माँ–बहन की एवं जातिसूचक गालियाँ देने लगे और जब आवेदिका ने गाली देने से मना किया तो उमेशचन्द की पत्नी बिन्दू के ललकारने पर विपक्षीगण उमेशचन्द व अंकुर उसको मारने के लिये दौड़ाये और जब वह घर में भागी तो उसके घर में घुसकर लात–मुक्का से मारने लगे और घसीटकर बाहर ले आये, उमेशचन्द ने आवेदिका से साथ अश्लील हरकत भी किया और जब उसको बचाने उसकी लड़की रोशनी, शिवांगी व भतीजा विशाल आया तो मुल्जिमान ने उन्हें भी मारा–पीटा और जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित किया, जान से मारने की धमकी भी दी। थाना आख्यानुसार दिनांक 23.01.2026 को समय 08.30 बजे की घटना के संबंध में विपक्षी उमेशचन्द द्वारा मु०अ०सं०–17/2026, धारा–352, 351(3) बी०एन०एस० पंजीकृत कराया गया। प्रस्तुत प्रकरण क्रास–केस से संबंधित होना प्रकट होता है।

6– अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का न्यायोचित आधार है।

<u>आदेश</u>

आवेदिका सुशीला देवी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा –173(4) भा०ना०सु०सं० स्वीकार किया जाता है। धारा–175(3) भा०ना०सु०सं० के तहत थानाध्यक्ष कोतवाली, जौनपुर को आदेशित किया जाता है कि यदि प्रकरण में पूर्व से अभियोग पंजीकृत न हो तो प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधि सम्मत विवेचना कराते हुए पुलिस आख्या न्यायालय में प्रेषित करें।

(रणजीत कुमार)
विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,जौनपुर।
जे०ओ० कोड– यू०पी० 6509